न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **154 / 2025** — अन्तर्गत धारा **131, 136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सवाईसिंह पुत्र पदमसिंह 2. इन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंह 3. तिनेसिंह पुत्र पदमसिंह 4. देउ कंवर पुत्री पदमसिंह 5. दुर्जनसिंह पुत्र पदमसिंह 6. पपू कंवर पुत्री पदमसिंह 7. भेरसिंह पुत्र मंगलसिह 8. भोमसिंह पुत्र दुर्गसिंह 9. मोरो कंवर पत्नी पदमसिंह 10. रामकंवर पुत्री पदमसिंह जाति राजपुत, निवासी पुषड तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. खंगारसिंह पुत्र मूलसिंह 3. गेमरसिंह पुत्र मूलसिंह 4. दलपतसिंह पुत्र रेवंतसिंह 5. धनसिंह पुत्र मूलसिंह 6. नाथूसिंह पुत्र मूलसिंह 7. मोर कंवर पत्नी किशनसिंह 8. लोकेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपुत, निवासी पुषड तहसील शिव जिला बाड़मेर

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री अभयसिंह राठौड़।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 18.09.2025

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा पुषड़, तहसील शिव के खसरा नम्बर 578 / 334 रकबा 11.8735 हैक्टेयर की आयी हुई है। प्रार्थीगण के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 2 से 8 की खसरा नम्बर 334 रकबा 11.8977 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है। उक्त विवादित आराजी का पूर्व में मूल खसरा नम्बर 334 का विभाजन होने पर रेकर्ड में अंकन किया गया। उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर रहवासी घर और कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर [illegible] विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध [illegible] तथ्य[illegible]क मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव [illegible] मौका रिपो[illegible] मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच [illegible] लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित [illegible] समय कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं करने पर मौके पर व[illegible]विक कब्जा एवं लट्ठा [illegible] की तरमीम में भिन्नता है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उपस्थित खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:13:47 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं करने पर मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उपस्थित खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। साथ ही प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा पुष्ड, तहसील शिव में प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 578/334 रकबा 11.8735 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 8 के खेत खसरा नम्बर 334 रकबा 11.8977 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 18.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:13:47 IST
Reason: SelfAttested